छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए-25, वी.आई.पी.एस्टेट, वी.आई.पी. क्लब के पास, खम्हारीडीह, शंकर नगर, रायपुर
दूरभाष- 0771-4065100 से 4065110 फैक्स - 2283594
ई-मेल : cgmfpfed@sancharnet.in
वेबसाइट : www.cgmfpfed.org

अधिसूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त)- XXXIX दिनांक 29.06.2010

वर्ष 2009 एवं विगत वर्षों के निरस्त व करारनामा समाप्त तेंदूपत्ते के लाटों के विक्रय हेतु निविदा सूचना

प्राक्कथन

चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर (जिसे इसके पश्चात् संघ कहा गया है) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2009 एवं विगत वर्षों के निरस्त व करारनामा समाप्त तेंदूपत्ते के लाटों का निर्वर्तन किया जाना है ।

अतएव अब संघ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से उक्त तेंदूपत्ते के क्रय के लिए इच्छुक व्यक्तियों/पंजीकृत फर्मों / विधिक कंपनियों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है ।

2. परिभाषायें, निविदा के निबंधन एवं शर्तें निविदाकार के लिए निर्देश

परिशिष्ट-I
(निबंधन एवं शर्तें)

इस सूचना, इसकी अनुसूची एवं इसके विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो परिशिष्ट- I में सम्मिलित "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकार के लिए निर्देश", में दिए गए अनुसार होंगी । ये "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकार के लिए निर्देश" इस निविदा सूचना के अभिन्न अंग हैं और यह समझा जावेगा कि इस सूचना में समस्त प्रयोजनों के लिये सम्मिलित हैं ।

3. लाट लिस्ट एवं करार अवधि -

अनुसूची
(तेंदूपत्ता की लाट सूची)

इस सूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित गोदामों में भण्डारित तेंदूपत्ते के लाटों के क्रय के लिये दिनांक 30.10.2010 को समाप्त होने वाली करार अवधि के लिये एतद् द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाती है ।

4. निविदा पत्र आदि -

(I) निविदा पत्र तथा निविदाकार का करारनामा संघ की ऊपर दर्शित वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं । निविदा पत्र तथा निविदाकार का करारनामा किसी भी कार्यालय में विक्रय नहीं होंगे । उपरोक्त रीति द्वारा प्राप्त निविदा पत्र प्रस्तुत करते समय उसके साथ रुपये 100/- का, किसी भी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट, जो कि प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ के पक्ष में संघ मुख्यालय या सम्बन्धित वन संरक्षक के मुख्यालय पर देय हो, संलग्न करना होगा ।

(II) निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा पत्र के साथ निविदाकार का करारनामा प्राप्त कर लिया है क्योंकि निविदा के साथ सम्यक् रुप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा संलग्न करना अनिवार्य है । आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर लेने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का है ।

5. निविदाओं का प्रस्तुतिकरण -

(I) उन सभी निविदाकारों को, जिन्हें स्थाई निविदाकार क्रमांक (पी.टी.एन.) आवंटित किया गया है एवं इस स्थाई निविदाकार क्रमांक की सूचना उनको क्रेता नियुक्ति आदेश/सत्यंकार राशि वापसी पत्र के द्वारा दी गई थी, आवंटित स्थाई निविदाकार क्रमांक निविदा पत्र के प्रथम पृष्ठ पर उपरी दांये कोने में अंकित करना होगा । जिन निविदाकारों को स्थाई निविदाकार क्रमांक (पी.टी.एन.) आवंटित नहीं हुआ है, उनको स्थाई निविदाकार क्रमांक अंकित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(II) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के अनुसार सभी निविदाकारों को स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) निविदा पत्र में अंकित एवं PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है । स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) निविदा पत्र के प्रथम पृष्ठ पर ऊपरी दांये कोने में अंकित करना होगा ।

(III) सभी दृष्टियों से पूर्ण निविदा एक मुहरबंद लिफाफे में, जिस पर निम्न विवरण एवं पता लिखा होगा, रखी जावेगी ।

वर्ष 2009 एवं विगत वर्षो के क्रेता करारनामा समाप्त तेंदूपत्ता लाटों के क्रय करने हेतु निविदा ।

निविदा खोलने की तिथि 26.07.2010
(निविदा सूचना क्रमांक ते.प.-(निरस्त)-XXXIX दिनांक 29.06.2010)
प्रति,
प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, ए-25 व्ही.आई.पी. एस्टेट,
खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रेषक,
निविदाकार का नाम - ....
पता - ....

(III) निविदा पत्र अन्तर्धारित करने वाला लिफाफा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर को अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति को सम्यूक अभिस्वीकृति प्राप्त करके किया जा सकेगा या पावती पंजीकृत डाक द्वारा उसको इस प्रकार भेजा जा सकता है ताकि वह दिनांक 26.07.2010 को 4.00 बजे तक प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर कार्यालय में प्राप्त हो जावे । सार्वजनिक अवकाश घोषित होने पर भी निविदायें इस तिथि को प्राप्त की जावेंगी ।

6(अ) सत्यंकार की राशि -

(I) प्रत्येक निविदा, सत्यंकार की राशि जो निविदा पत्र में दर्शित लाट की निविदा दर के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य की 10% की राशि से किसी भी दशा में कम नहीं होगी, के साथ प्रस्तुत की जावेगी । यह सत्यंकार की राशि छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के प्रबंध संचालक के पक्ष में, रायपुर में देय किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा की जाएगी । अन्य किसी रूप में सत्यंकार की राशि जमा करने पर अथवा निविदापत्र मे लाट की

निविदा दर के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य की 10% की राशि से कम सत्यंकार की राशि जमा करने पर निविदा संक्षिप्त रूप से अमान्य किये जाने योग्य होगी ।

(II) दिनांक 29-07-2010 को संघ के वेबसाइट पर लाटों के लिये अधिकतम दर प्रस्तावित करने वाले निविदाकारों की सूची उपलब्ध कराये जाने पर दिनांक 05-08-2010 तक क्रय मूल्य की 15 प्रतिशत की राशि अतिरिक्त जमा करनी होगी । उक्त सूची में दर्शाये निविदाकार द्वारा यदि निर्धारित अवधि तक अतिरिक्त 15% की सत्यंकार की राशि जमा नहीं कराई जाती है, तो निविदाकार की सत्यंकार में जमा राशि संघ के स्व विवेक पर राजसात कर ली जावेगी तथा उसको कोई लाट स्वीकृत नहीं किया जावेगा तथा उसको 3 वर्ष की अवधि के लिये संघ द्वारा काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा ।

6 (ब) निविदाओं का खोला जाना -

(I) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या., रायपुर के कार्यालय में प्राप्त निविदायें दिनांक 26.07.2010 को सायंकाल 4.30 बजे से एक साथ प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर के कार्यालय में प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा गठित समिति द्वारा ऐसे निविदाकारों के समक्ष जो उपस्थित हो खोली जावेंगी और आवश्यकता पड़ने पर अगले दिनांकों को भी खोली जावेंगी भले ही निविदाएं खोले जाने वाले दिनों को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया हो ।

7. क्रेता करारनामा का निष्पादन -

परिशिष्ट-IV
(क्रेता करारनामा)

(I) सफल निविदाकार का प्रस्ताव तार एवं/अथवा पत्र जारी कर स्वीकार किया जावेगा और ऐसी स्वीकृति जारी होने पर सम्बंधित तेन्दूपत्ते के लाट के क्रय की संविदा निविदाकार और संघ के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं निविदाकार लाट का क्रेता माना जावेगा ।

(II) सफल निविदाकार को, उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 30 दिन के अन्दर, प्रत्येक लाट के लिए परिशिष्ट (IV) (क्रेता का करारनामा) में दिये गये प्रपत्र में करारनामा संबंधित वन संरक्षक अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निष्पादित करना होगा । निविदाकार के द्वारा 2000/- रूपये बतौर फीस जमा किये जाने पर इस अवधि में वन संरक्षक के द्वारा 7 दिन की वृद्धि की जा सकेगी । इस प्रकार 30वां दिन/7वां दिन यदि सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो करारनामा निष्पादन आगामी कार्य दिवस में किया जा सकेगा । 30 दिन/7 दिन की अवधि की गणना संघ मुख्यालय / वन संरक्षक कार्यालय से आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिन से की जावेगी ।

(III) करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता की नियुक्ति वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर सम्बंधित लाट के क्रय मूल्य के 25% की राशि सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर ली जायेगी और वन संरक्षक द्वारा निविदाकार को ऐसी अवधि के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा जो 3 वर्ष तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि लाट/लाटों, जिनके लिये क्रेता की नियुक्ति निरस्त की गई है, के पश्चात्वर्ती निर्वर्तन पर संघ को हुई हानि, यदि कोई हो, क्रेता को वहन करनी होगी और यदि ऐसी हानि की रकम क्रेता के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के 15 दिन के अन्दर, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू राजस्व के बकाया

बतौर वसूली योग्य होगी, परन्तु यदि ऐसे पश्चात्वर्ती निर्वर्तन में क्रय मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है तो क्रेता का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा ।

8. देय राशि का भुगतान-

(अ) क्रेता देय राशि का भुगतान, क्रेता करारनामा के प्रावधानानुसार, चार बराबर किश्तों में निम्नांकित तिथियों को अथवा उनके पूर्व करेगा :-

किश्त क्रमांक	**तिथि**
प्रथम	02.09.2010
द्वितीय	17.09.2010
तृतीय	01.10.2010
चतुर्थ	15.10.2010

(ब) **सम्पूर्ण क्रय मूल्य के भुगतान पर रिबेट -**

यदि क्रेता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित भुगतान किया जाता है तो उसे क्रय मूल्य की राशि के 2% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी । यदि क्रेता इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 98% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करों की राशि का भुगतान करेगा । यदि प्रथम किश्त की देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो इस उपकंडिका के प्रयोजन हेतु प्रथम किश्त की देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी ।

9. पत्तों का परिदान -

(I) किश्त/किश्तों के भुगतान के उपरांत पत्तों का परिदान परिशिष्ट-I एवं IV में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगा ।

(II) यदि क्रेता बैंक गारंटी के विरूद्ध तेंदूपत्ते का परिदान लेने की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तब वह ऐसा क्रेता करारनामा की कंडिका-6 में दर्शाई प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगा। बैंक गारंटी परिशिष्ट -V में दिये गये प्रपत्र में होगी । ऐसे क्रेता को जिसने 4 या अधिक लाटों के लिये एकल अनुबंध किया है, यह सुविधा तभी उपलब्ध कराई जावेगी, यदि वह इस सुविधा की मांग अनुबंध के अन्तर्गत आने वाले समस्त लाटों के लिये करें ।

परिशिष्ट-V
(बैंक गारंटी)

10. परिशिष्ट -

परिशिष्ट-I से V तथा अनुसूची जिनका कि सन्दर्भ उपर दिया गया है एवं परिशिष्ट VI इसके साथ संलग्न है, उनको संदर्भ के लिये देखें ।

11. निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना -

इस निविदा के संदर्भ में निविदा प्रस्तुत करने के कार्य को निविदा सूचना की शर्तों तथा परिशिष्ट **I** में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा ।

12. हानि की राशि की गणना -

क्रेता करारनामा निष्पादन न किये जाने अथवा करारनामा समाप्त होने की दशा में हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी -

संबंधित निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां ।

यदि कोई केता शासन/संघ के विरुद्ध अदालत में जाता है तथा निर्णय शासन/संघ के पक्ष में होता है तो केता अदालती कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये जिम्मेदार होगा, इसकी वसूली केता से ब्याज सहित की जावेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से

प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

परिशिष्ट- I
निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश जो निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त)-XXXIX दिनांक 29.06.2010 के भाग है

निविदा के निबंधन व शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश और निविदा सूचना एवं उसकी अनुसूची व विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें नीचे दिये अनुसार हैं। ये निविदा सूचना के अभिन्न अंग होंगे ।

1. **परिभाषाएं** -

इस अधिसूचना तथा इसके परिशिष्टों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(i) **''अधिनियम''** से तात्पर्य तत्समय प्रवृत छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 (1964 का स. 29) से हैं ।

(ii) **''अभिकर्त्ता''** से तात्पर्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अंर्तगत नियुक्त अभिकर्त्ता से है ।

(iii) **''देय राशि''** से तात्पर्य लाट के क्रय मूल्य तथा उस पर देय कर के योग से है, जो सफल निविदाकार को देनी होगी ।

(iv) **''परिशिष्ट''** से तात्पर्य निविदा सूचना के परिशिष्ट से है,

(v) **''बकाया''** से अभिप्रेत है, निविदाकारों के विरूद्ध बकाया ऐसी कोई राशि जो छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग अथवा "संघ" को शोध्य है और जिसकी सूचना निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व वन विभाग अथवा संघ अथवा उनके पदाधिकारी द्वारा उसे पजीकृत डाक द्वारा भेजी गई हो,

(vi) **''संग्रहणकाल''** से तात्पर्य कैलेण्डर वर्ष की अप्रैल से जुलाई तक की अवधि से है,

(vii) **''वन संरक्षक''** से तात्पर्य सम्बन्धित क्षेत्रीय वन संरक्षक से है, जो संघ के पदेन महाप्रबंधक भी घोषित है,

(viii) **''जिला यूनियन''** से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत कोई जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, जो संघ की सदस्य हो,

(ix) **''वन मंडलाधिकारी''** से तात्पर्य संबंधित वन मंडलाधिकारी (सामान्य) से हैं, जो संघ के संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक भी घोषित हैं,

(x) **''संघ''** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर से है।

(xi) **''शासन''** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन से है,

(xii) **''लाट''** से अभिप्रेत है, किसी प्राथमिक सहकारी समिति/वन विभाग द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता जो बोरों में भरकर एक या एक से अधिक गोदामों में गोदामीकृत किया गया है ।

(xiii) **''नियमावली''** से तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 से है ।

(xiv) **"प्राथमिक समिति"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित जो "जिला यूनियन" की सदस्य हो ।

(xv) **"क्रय मूल्य"** से तात्पर्य उस राशि से है, जो तेंदूपत्ता लाटों की अनुसूची में मानक बोरा में दर्शित मात्रा को नीचे (xvi) में परिभाषित क्रय दर से गुणा करने पर प्राप्त हो ।

(xvi) **"क्रय दर"** से तात्पर्य निविदाकारों के द्वारा प्रस्तावित उस प्रति मानक बोरा निविदा दर से है, जो संघ के द्वारा स्वीकृत की गई हो ।

(xvii) **"परिक्षेत्र अधिकारी"** से तात्पर्य संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से हैं, जो संघ के पदेन परिक्षेत्र प्रबंधक भी हैं,

(xviii) **"देय कर"** से तात्पर्य लाट के पत्तों के क्रय मूल्य पर समय-समय पर प्रवृत्त देय मूल्य संवर्धित कर, वन विकास उपकर व अन्य सभी कर/उपकर आदि से है,

(xix) **"निविदा दर"** से तात्पर्य उस प्रति मानक बोरा दर (जिसमें मूल्य संवर्धित कर, वन विकास उपकर तथा अन्य कोई कर/उपकर सम्मिलित नही हैं) से है जो निविदाकार किसी लाट के तेंदूपत्ता के क्रय के लिए परिशिष्ट- II में दिए गए निविदा पत्र की कंडिका 2 में उस लाट के लिए प्रस्तावित करेगा ।

(xx) **" निविदाकार "** से तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा पंजीकृत फर्म या विधिक कंपनी से है, जो इन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन, तेंदूपत्ता क्रय करने हेतु निविदा प्रस्तुत करता है और इस अभिव्यक्ति में उसका दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे ।

(xxi) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो उपर परिभाषित नहीं हैं, परन्तु जो अधिनियम अथवा नियमावली में परिभाषित हैं, अर्थ वही होगा जो उनके लिए कथित अधिनियम अथवा नियमावली में दिया गया है ।

2. इकाईयों का विवरण -

इकाईयों का विवरण (नाम एवं सीमा) जिसमें से संग्रहण किया गया है मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 की धारा 3 के अधीन, मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक ते.प/ 11001, दिनांक 26.11.86 तथा पश्चातवर्ती संशोधनों में दिया गया है ।

3. अधिनियम के प्रावधान का लागू होना -

अधिनियम तथा नियमावली के समस्त तत्समय प्रवृत्त प्रावधान जहां तक कि वे क्रेताओं के उपर लागू होते है निविदा सूचना एवं क्रेता करारनामे के निबंधनों तथा शर्तों के विशेषतः अभिन्न अंग होंगे ।

4. विक्रय "जहां है जैसा है" के आधार पर -

(I) शर्त क्रमांक 4(II) के अध्यधीन रहते हुए तेंदूपत्ते का विक्रय "जहां है जैसा है" के आधार पर है। इच्छुक निविदाकार को यह सलाह दी जाती है कि वे उन गोदामीकृत तेंदूपत्ते के लाटों जिनके लिए वे निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, का स्वयं निरीक्षण कर लें तथा प्रत्येक लाट में तेंदूपत्ता की गुणवत्ता के साथ साथ उसमें वास्तविक बोरों की उपलब्धता के बारे में भी अपनी संतुष्टि कर लें । निविदा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् तेंदूपत्ते की गुणवत्ता या उनके बीड़ी निर्माण हेतु उपयुक्तता के संबंध में किसी भी समय कोई भी विवाद मान्य नहीं किया जायेगा और न ही

निविदाकार की निविदा स्वीकृत हो जाने के पश्चात् संघ तेंदूपत्ते की गुणवत्ता में ह्रास के लिए उत्तरदायी होगा तथा तेंदूपत्ता क्रेता के उत्तरदायित्व पर गोदाम में भण्डारित रहेगा ।

(II) ठेका तेंदूपत्ते की अनुसूची में वर्णित मानक बोरों में अधिसूचित मात्रा के क्रय/ विक्रय के लिए होगा। परन्तु यदि किसी लाट में इस निविदा सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक संख्या में मानक बोरे हैं, तब क्रेता को उन्हें भी उस लाट के लिए स्वीकृत दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर क्रय करना होगा । अतिरिक्त राशि का भुगतान क्रेता द्वारा लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी होने के पूर्व करना होगा । अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित है तथा किश्तों में तद्नुसार संशोधन किया जावेगा तथा क्रेता को संशोधित मात्रा एवं किश्तों को मान्य करना होगा ।

(III) स्टाक की उल्टा-पल्टी करने या उन्हें किसी अन्य गोदाम में स्थानान्तरित करने का अधिकार, क्रेता को इस आशय की सम्यक् सूचना कि यदि वह चाहे तो उपरोक्त कार्य के समय उपस्थित रह सकता है, दिये जाने के उपरांत संघ/ जिला यूनियन के पास सुरक्षित है ।

5. निविदा प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति आदि-

(I) निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा यह उल्लेखित किया जायेगा कि वह/वे किस हैसियत से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है/कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, सम्बंधित फर्म के पूर्ण स्वामी अथवा किसी मर्यादित कम्पनी के प्रबंध संचालक, संचालक अथवा सचिव के रूप में। भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों के नाम अभिलिखित होंगे और निविदा पत्र पर सभी भागीदारों द्वारा अथवा उनके सम्यक् रूप में नियुक्त अटार्नी द्वारा जिसे मुख्त्यारनामा द्वारा या भागीदारी विलेख में दिये गये अनुसार संविदा संबंधी सभी विषयों में सभी भागीदारों को आबद्ध करने का अधिकार हो, हस्ताक्षर किये जायेंगे। पंजीकृत भागीदारी विलेख की एक सत्य प्रति निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगे । जिस फर्म ने करार किया है, उस फर्म के प्रत्येक भागीदार के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह करार के चालू रहने के दौरान उसके अनुबंधों तथा शर्तों का अनुपालन करें, भले ही अभ्यंतर काल में भागीदारी का विघटन हो गया हो । मर्यादित कम्पनी की स्थिति में निविदा पर, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसे कम्पनी द्वारा वैसा करने हेतु अधिकृत किया हो तथा कम्पनी मेमोरेंडम और आर्टीकल आफ एसोसिएशन की एक प्रति और वह पत्र जिसके द्वारा उस व्यक्ति को निविदा अभिलेखों में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है, निविदा पत्र के साथ संलग्न किये जायेंगे जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगा । अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब की स्थिति में कुटुम्ब के सभी सदस्यों के नाम निविदा पत्र में लिखे जायेंगे तथा "कर्ता" जो कुटुम्ब को आबद्ध कर सके, निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और अपने हस्ताक्षर के नीचे अपनी हैसियत का उल्लेख करेगा ।

(II) किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ मुख्त्यारनामा या उसके पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित डीड या भागीदारी विलेख, जिसमें उसे यह शक्ति दी गई हो, जो यह दर्शाये कि यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को या फर्म को, संविदा संबंधी सभी विषयों में आबद्ध करने का उसे अधिकार है, निविदा पत्र के साथ संलग्न करेगा । यदि निविदा पत्र पर इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उक्त मुख्त्यारनामा या भागीदारी विलेख संलग्न नहीं करता हैं, तो उसकी निविदा संक्षिप्त रूप से अस्वीकृति योग्य होगे । मुख्त्यारनामे पर, भागीदारी प्रतिष्ठान होने पर सभी भागीदारों द्वारा, प्रोप्राइटर फर्म होने पर प्रोप्राइटर द्वारा तथा मर्यादित कम्पनी होने पर उस व्यक्ति द्वारा जो अपने हस्ताक्षर से कम्पनी को आबद्ध कर सकता है, हस्ताक्षर किये जायेंगे। हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब होने पर मुख्त्यारनामे पर "कर्ता" जो अपने हस्ताक्षर से कुटुम्ब को आबद्ध कर सकता है, द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे ।

(III) अवयस्क, दिवालिया अथवा काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत निविदा अवैध माने जावेंगे ।

(IV) ऐसा निविदाकार जो कि बकायादार है, निविदा पत्र के साथ किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफट/ डिमांड ड्राफट के रूप में जो संघ के प्रबंध संचालक के पक्ष में रायपुर में देय हो, बकाया का भुगतान कर सकता है परन्तु यदि वह ऐसा करने में चूक करता है, तो उसके द्वारा निविदा के साथ सत्यंकार के रूप में जमा राशि से बकाया राशि को काट कर शेष राशि को सत्यंकार की राशि मानकर उसके निविदा पर विचार किया जावेगा ।

(V) निविदाकार का निविदा देने की तिथि को अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत विनिर्माता/ निर्यातक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है और यदि वह क्रेता नियुक्त किया जाता है तो उसे करार समाप्ति की तिथि तक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा । निविदा पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर उस वर्ष जिसमें निविदा दिया गया हैं के पंजीयन प्रमाण-पत्र का क्रमांक एवं दिनांक तथा वन मंडल का उल्लेख करना आवश्यक है एवं निविदा के साथ वन मंडलाधिकारी द्वारा दिये गए पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है ।

(VI) यदि कोई निविदाकार निविदा के खुलने के समय कोई कदाचार करता हैं या शांति बनाये रखने में बाधा डालता है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा अवैध घोषित कर दिया जायेगा एवं उसके द्वारा निविदा के साथ जमा सत्यंकार की राशि अधिहरित कर ली जावेगी तथा ऐसे निविदा के अवैध घोषित किये जाने के कारण संघ को हुई हानि उससे वसूली योग्य होगी और इसके अतिरिक्त ऐसे निविदाकार को ऐसी कालावधि के लिए वन संरक्षक द्वारा काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा, जो तीन वर्षों तक हो सकती है ।

6. **सत्यंकार की राशि** -

(I) प्रत्येक निविदा, सत्यंकार की राशि जो निविदा पत्र में दर्शित लाट की निविदा दर के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य की 10% की राशि से किसी भी दशा में कम नहीं होगी, के साथ प्रस्तुत की जावेगी । यह सत्यंकार की राशि छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के प्रबंध संचालक के पक्ष में, रायपुर में देय किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफट/ डिमांड ड्राफट के रूप में जमा की जाएगी । अन्य किसी रूप में सत्यंकार की राशि जमा करने पर अथवा निविदापत्र मे लाट की निविदा दर के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य की 10% की राशि से कम सत्यंकार की राशि जमा करने पर निविदा संक्षिप्त रूप से अमान्य किये जाने योग्य होगा ।

(I)(अ) दिनांक 29-07-2010 को संघ के वेबसाइट पर लाटों के लिये अधिकतम दर प्रस्तावित करने वाले निविदाकारों की सूची उपलब्ध कराये जाने पर दिनांक 05-08-2010 तक क्रय मूल्य की 15 प्रतिशत की राशि अतिरिक्त जमा करनी होगी । उक्त सूची में दर्शाये निविदाकार द्वारा यदि निर्धारित अवधि तक अतिरिक्त 15% की सत्यंकार की राशि जमा नहीं कराई जाती है, तो निविदाकार की सत्यंकार में जमा राशि संघ के स्व विवेक पर राजसात कर ली जावेगी तथा उसको कोई लाट स्वीकृत नहीं किया जावेगा तथा उसको 3 वर्ष की अवधि के लिये संघ द्वारा काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा ।

(I)(ब) यदि डाउनलोडेड निविदा, निविदा सूचना शर्त क्र. 4 (I) में विहित अनुसार रुपये 100/- के पृथक बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उसके द्वारा ऐसे निविदा के साथ सत्यंकार के रुप में जमा राशि से ऐसी रू. 100/- की राशि काटकर शेष राशि को सत्यंकार की राशि मानकर उसके निविदा पर विचार किया जावेगा ।

(II) सफल निविदाकार के द्वारा जमा की गई सत्यंकार की राशि प्रथमतः उसके द्वारा देय प्रतिभूति राशि के रूप में शर्त क्रमांक 10(I) के अनुसार समायोजित की जावेगी ।

(III) उपरोक्तानुसार प्रतिभूति के रूप में समायोजित करने के उपरांत शेष सत्यंकार की राशि निविदाकार के निवेदन पर उसको आवंटित लाट/ लाटों की किश्त/ किश्तों के भुगतान की ओर समायोजित की जावेगी अथवा उसे वापिस कर दी जावेगी ।

(IV) असफल निविदाकार की सत्यंकार राशि उन्हें परिणाम घोषित होने के उपरांत वापिस कर दी जावेगी ।

(V) सत्यंकार की राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

7. निविदा भरने की प्रक्रिया -

(I) एक लाट के क्रय के लिए एक निविदाकार एक ही निविदा पत्र प्रस्तुत कर सकेगा । यदि कोई निविदाकार अपने निविदा पत्र मे एक से अधिक लाटो के लिए निविदा प्रस्तुत करता हैं , तो उसके निविदापत्र में दर्शित केवल प्रथम लाट की निविदा पर ही विचार किया जावेगा । इसके अतिरिक्त शेष समस्त लाट/लाटें के निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।

(II) निविदा केवल संघ की वेबसाइट से डाउन लोड कर प्राप्त किये प्रपत्रों पर ही प्रस्तुत की जा सकेंगी अन्यथा प्रस्तुत की गई निविदा अवैध मानी जावेंगी ।

(III) निविदाकार एक निविदा पत्र पर एक ही लाट के क्रय के लिए प्रति मानक बोरा दर, जिसमें कर/ उपकर सम्मिलित नहीं होंगे, निविदा प्रस्तावित करेगा । प्रस्ताव में प्रति मानक बोरा दर दर्शाना होगी, एकमुश्त रकम नहीं । निविदा दर पूर्ण रूपये में दी जावेगी । यदि दर रूपये के अंश में प्रस्तावित की गई तो उसे अगले अधिक पूर्ण रूपये में ही संघ द्वारा माना जावेगा और निविदाकार को उसे मानना होगा । यदि अंको और शब्दों में दी गई दरों में अंतर हो तो उनमें से उच्चतम दर को ही निविदाकार का प्रस्ताव माना जावेगा ।

(IV) निविदाकार अपनी निविदा में लॉट की क्रय दर इस प्रकार प्रस्तावित करेगा कि इस प्रस्तावित क्रय दर के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य उसके द्वारा निविदा के साथ जमा सत्यंकार की राशि के 10 गुना से अधिक न हो । यदि निविदाकार द्वारा प्रस्तावित क्रय दर के आधार पर लॉट का परिगणित क्रय मूल्य निविदा के साथ जमा सत्यंकार की राशि अथवा कण्डिका 5(IV) के अनुसार परिगणित सत्यंकार की राशि, जो भी कम हो, के 10 गुना से अधिक होता है, तो ऐसी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(V) यदि निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत निविदा में लाट का प्रस्ताव स्पष्ट नहीं हैं अर्थात् वह प्रस्ताव किस विशिष्ट लाट के लिए दिया गया है या लाट की पहचान के संबंध में कोई त्रुटि की गई है अथवा लाट के शब्दों एवं अंकों में दर्शाए गये क्रमांक में अन्तर पाया जाता है तो उस लाट के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा ।

(VI) निविदाकार को अपने पत्र में अपना पूर्ण एवं सही डाक का पता इस हेतु, निर्धारित स्थान पर आवश्यक रूप से अंकित करना होगा । इस पते पर पंजीकृत डाक से भेजे गये पत्र उसके द्वारा प्राप्त किये गये माने जावेंगे । निविदाकार को संबोधित समस्त पत्रों को प्राप्त करने का दायित्व उसका स्वयं का है । यदि निविदाकार के द्वारा अंकित किया गया डाक पता गलत पाया जाता हैं तो उसका नाम काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा ।

(VII) यदि कोई निविदाकार अपने निविदा में किसी प्रविष्टि को काटकर अथवा उपरिलेखन करके कोई शुद्धि करता है तो ऐसे शुद्धिकरण का विवरण निविदा पत्र की कंडिका-8 में दिया जाना आवश्यक है तथा सही की गई प्रविष्टी पर निविदाकार द्वारा अपने हस्ताक्षर किये जावेंगे निविदा पत्र की कंडिका-8 में उल्लेखित शुद्धिकृत प्रविष्टियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य काटी अथवा उपरिलिखित प्रविष्टि पाई जाती हैं अथवा यदि सुधार उपरांत किसी प्रविष्टी पर निविदाकार के

हस्ताक्षर नहीं पाये जाते हैं तो उस प्रविष्टि को अवैध माना जावेगा और उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

(VIII) निविदाकार को निविदा पत्र के प्रत्येक पृष्ठ को भरना होगा और प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना होगा तथा उसके साथ समस्त आवश्यक अभिलेख एवं सम्यक् रूप से निष्पादित किये गये निविदाकार के करारनामे को संलग्न कर, निविदा सूचना की शर्त क्रमांक-5 के अनुसार उसे प्रस्तुत करना होगा । सम्यक् रूप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा तथा अन्य अभिलेख निविदा पत्र के साथ संलग्न न किये जाने पर, निविदा विचार किये जाने योग्य नही होगा ।

8. **प्रस्तावों को वापिस लिया जाना आदि -**

(I) निविदा का खुलना प्रारम्भ होने के निर्धारित समय के पूर्व कोई भी निविदाकार निविदा सूचना की शर्त क्रमांक-6 के अंर्तगत, निविदा को खोलने हेतु गठित समिति के समक्ष निविदा वापसी का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा को वापस ले सकेगा ।

(II) निविदा का खुलना प्रारम्भ होने के उपरांत कोई भी निविदाकार अपनी निविदा वापस नहीं ले सकेगा और वह अपनी निविदा तथा निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों से तथा इन निबंधनों तथा शर्तों से तब तक बाध्य रहेगा जब तक संघ के द्वारा उसकी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी पत्र जारी नहीं कर दिया जाता । इस शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित लाट के क्रय मूल्य, जो कि उसके द्वारा प्रस्तावित दर को लाट की मानक बोरा में अधिसूचित मात्रा से गुणा करने पर परिगणित किया जावेगा, की 10% राशि का उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर लिया जावेगा और उसे 3 वर्ष तक की कालावधि के लिये काली-सूची में दर्ज किया जा सकेगा ।

9. **निविदा को स्वीकार किया जाना -**

(I) शासन/संघ निविदा पत्र में अंकित किसी भी लाट या समस्त लाटों के प्रस्ताव/प्रस्तावों को बिना कारण दर्शाये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

(II) विभिन्न निविदाकारओं को लाटों का आवंटन करने के लिए शासन/संघ विभिन्न लाटों या लाटों के वर्ग या विभिन्न क्षेत्रों के लाटों के लिए भिन्न-भिन्न कट आफ स्तर/अवरोध मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है ।

(III) यदि किसी विशिष्ट लाट के लिए एक से अधिक निविदाककारों के द्वारा एक ही दर प्रस्तावित की जाती है तो संघ द्वारा लाटरी निकालकर उस लाट के आवंटन पर विचार किया जायेगा ।

(IV) निविदाकार द्वारा प्रस्तुत जो निविदा संघ द्वारा स्वीकार किये जाते है, उसे वह स्वीकार करने को बाध्य होगा ।

10. **प्रतिभूति निक्षेप-**

(I) क्रेता करारनामा निष्पादित करने के पूर्व निष्पादित किये जाने वाले क्रेता करारनामा के निबंधनों तथा शर्तों के यथोचित अनुपालन के लिए सफल निविदाकार को उसके पक्ष में संघ के द्वारा स्वीकृत किये गये लाटों के कुल क्रय मूल्य की 25% की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करना होगी और इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा शर्त क्रमांक 6 के अनुसार जमा की गई सत्यंकार की राशि जिस हद तक वह उपलब्ध है, प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संघ के द्वारा समायोजित कर ली जावेगी और अतिरिक्त 15% राशि दिनांक 05-08-2010 तक उसे जमा करना होगा । अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि वनोपज संघ अथवा जिला यूनियन कार्यालय में किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य लघु वनोपज

सहकारी संघ मर्यादित के नाम होगा तथा संबंधित प्रबंध संचालक जिला यूनियन के मुख्यालय के किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय होगा, के रूप में अदा की जाएगी ।

(II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधो के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी ।

(III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी ।

(IV) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती, के पश्चात् अंतिम किश्त के विरूद्ध समायोजित की जावेगी । लाट की अधिसूचित मात्रा से अधिक पायी गई मात्रा का परिदान क्रेता द्वारा लेना होगा । उक्त अधिक मात्रा हेतु देय राशि, लाट के विक्रय मूल्य के आधार पर उसे भुगतान करना होगा । लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र उसके द्वारा उक्त राशि भुगतान करने पर ही जारी किया जावेगा ।

11. तेंदूपत्ते का परिदान-

(I) तेंदूपत्ते का परिदान देय किश्त की पूर्ण राशि के भुगतान होने पर ही क्रेता को दिया जावेगा ।

(II) देय किश्त की राशि के पूर्ण भुगतान होने के पश्चात् लाट की कुल अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा का परिदान दिया जावेगा। परिदान दिये जाने के समय लाट में से तेंदूपत्ते की छटांई करने की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा परिदान छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दिया जावेगा जिस ओर से परिदान प्रारम्भ किया गया हो ।

(III) क्रेता को उसके द्वारा परिदान में ली गई स्टाक की सम्पूर्ण मात्रा को संघ के गोदामों के परिसरों से हटाना होगा तथा उसे छंटाई या अन्य किसी प्रकार के कार्य को संघ के गोदामों के परिसरों या उनके निकट के क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

12. अधिनियम आदि का उल्लंघन -

ऐसा क्रेता जो अधिनियम, नियमावली और/ अथवा क्रेता करारनामे की किन्ही शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत वह दंडित किया जाता है या उसके करारनामें को समाप्त किया जाता है, को पांच वर्ष की कालावधि तक के लिए काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा ।

13. करारनामें का हस्तांतरण -

क्रेता संघ/ वन संरक्षक की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति/ पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा । ऐसे अनुबंध का हस्तांतरण संघ/ संबंधित वन संरक्षक द्वारा इस शर्त पर किया जा सकेगा कि जिस व्यक्ति/ पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में अनुबंध हस्तांतरित किया जाना है वह रू.5000/- की राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में तथा लाट के क्रय मूल्य की 25% राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में किसी

अनुसूचित बैंक के डिमांड/ बैंक ड्राफट जोकि प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पक्ष में जिला यूनियन के मुख्यालय की किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर/रायपुर में देय होगा, के माध्यम से अग्रिम में अदा करें। हस्तांतरणकर्ता का आवेदन, हस्तांतरण ग्रहिता की सहमति, अधिनियम के तहत विनिर्माता/ निर्यातक के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति एवं उपरोक्तानुसार हस्तांतरण शुल्क रू. 5000/- तथा लाट के क्रय मूल्य की 25% प्रतिभूति निक्षेप की राशि के ड्राफट संघ/ संबंधित वन संरक्षक के कार्यालय में प्रथम किश्त की देय तिथि के पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए । ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरणकर्ता क्रेता लाट के संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक हस्तांतरण ग्रहिता क्रेता संबंधित वन संरक्षक के कार्यालय में संबंधित लाट का करारनामा निष्पादित नहीं कर देता है ।

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम के तहत पंजीयन क्रमांक **आयकर का PAN**

पी.टी.एन.

परिशिष्ट- II

(निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त)-XXXIX दिनांक 29.06.2010 का परिशिष्ट)
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित,

तेंदूपत्ता लाट के क्रय हेतु निविदा पत्र

(निविदा सूचना की शर्त क्रमांक -4)

1. मैं/हम/मेसर्स ....(नाम) आत्मज ....(नाम) ग्राम .... पुलिस थाना ....जिला....................एतद् द्वारा संग्रहण वर्ष .... के लाट क्रमांक .... (अंकों में) ....(शब्दों में) के पत्ते को दिनांक ....को समाप्त होने वाली अवधि में निविदा सूचना तथा करारनामें की शर्तों तथा अनुबंधों के अनुसार क्रय करने के लिए करार करता हूं/ करते हैं ।

2. मैं/हम दिनांक .... को समाप्त होने वाली करार अवधि के दौरान तेंदूपत्ता के क्रय के लिए कंडिका 1 में वर्णित लाट के लिए रुपये .... (अंकों में) .... (शब्दों में) प्रति मानक बोरा दर अर्थात् "निविदा दर" जिसमें विक्रय कर, वन विकास उपकर तथा अन्य कर/उपकर शामिल नहीं है, प्रस्तावित करता हूं/करते हैं ।

3. मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषित करता हूं/ करते हैं कि मैंने/ हमने छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के समस्त उपबंधों, उसके अधीन बनाये गये नियमों, निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त)-XXXIX दिनांक 29.06.2010 की शर्तों और निविदा सूचना से संलग्न करारनामें की शर्तों को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है और मैं/ हम उनका पालन करने का करार करता हूं/ करते हैं। मैंने/ हमने उपरोक्त लाट का, जिसके लिए यह निविदा दिया जा रहा है, स्वयं निरीक्षण कर लिया है ।

4. मैं/ हम अधिनियम के अंर्तगत बीड़ी विनिर्माता व/या तेंदूपत्ता के निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र जिस पर वन मण्डल .... का क्रमांक ....दिनांक .... अंकित है, धारण करता हूं/ करते हैं ।

निविदाकार के हस्ताक्षर..........................

5. मैं/हम निविदा सूचना के निबंधन तथा शर्तों के अधीन अपेक्षित निम्नलिखित संलग्न करता हूं/करते हैं-

अ.क्र.	**अभिलेख**	**विवरण**	**निविदा पत्र के साथ संलग्न पृ.क्रमांक........ से ....तक**
1.	निविदा पत्र के लिए रूपये 100.00 देनगी का साक्ष्य (निविदा सूचना की शर्त- 4(I)		
		क्र. बैंक/डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक एवं दिनांक बैंक का नाम एवं ब्रांच राशि रू.	
2.	जमा की गई सत्यंकार की राशि (परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्र. 6(I))		
	योग कंडिका क्र.(2)		
3.	वन विभाग/संघ को शोध्य रकम के भुगतान का विवरण (परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्र.5(IV))		
	योग कंडिका क्र.(3)		
4.	मुख्त्यारनामा की/ फर्म के पंजीयन की/फर्म भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि (परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्र.5)	(संलग्न किये गये अभिलेख का नीचे विवरण दें)	
5.	छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 के अधीन पंजीयन प्रमाण- पत्र की प्रति (परिशिष्ट -I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्र. 5(V))	वन मण्डल .... क्रमांक ....दिनांक.................... (फोटो प्रति संलग्न है)	
6.	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 A के अनुसार PAN कार्ड की छायाप्रति	फोटो प्रति संलग्न है	

6. मैं/हम एतद् द्वारा घोषित करता हूं/ करते है कि मैं/ हम मेरी/ हमारी निविदा खुलने के बाद अपने प्रस्ताव (निविदा) पर तथा इस निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों पर तब तक बाध्य रहूँगा/रहेंगे, जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश नहीं दे दिए जाते या दूसरा व्यक्ति या पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान उस लाट के लिए क्रेता नियुक्त नहीं हो जाता/जाते हैं ।

निविदाकार के हस्ताक्षर..........................

7. फर्म के भागीदारों के नाम व पते इस प्रकार हैं :-

अ.क्र.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

8. मैं/हम एतद् द्वारा प्रकट करता हूं/करते है कि निविदा पत्र के विभिन्न ब्योरे भरते समय मैंने/हमने कतिपय प्रविष्टियों में सुधार किया है जिनके पृथक-पृथक ब्योरे निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	निविदा पत्र का पृ.क्र.	पंक्ति का क्रमांक	सही की गई प्रविष्टि
1	2	3	4

मैंने/हमने उपरोक्त प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर भी कर दिये है। (परिशिष्ट- I में दी गई निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्रमांक 7(VII)

स्थान ....
दिनांक ....

निविदाकार के हस्ताक्षर................

डाक का पूरा पता
दूरभाष क्रमांक ....

परिशिष्ट- III

(निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त)-XXXIX दिनांक 29.06.2010 का परिशिष्ट)

निविदाकार का करारनामा

(निविदा सूचना की शर्त क्रमांक - 4(II))

यह करार आज दिनांक ....माह.................सन्...................को प्रथम पक्ष वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक...................वृत्त के मार्फत कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या. (जिन्हे इसके आगे "संघ" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष श्री/मेसर्स............... ....आत्मज ....ग्राम ....पुलिस थाना ....जिला. ....(जिन्हें इसके आगे "निविदाकार कहा गया है", जिस अभिव्यक्ति में, उसके दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है।
चूँकि तेंदूपत्ते का व्यापार छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों द्वारा विनियमित होता है,

और

चूँकि शासन द्वारा संघ को संपूर्ण मध्यप्रदेश की विभिन्न तेंदूपत्ता इकाईयों से संग्रहित तेंदूपत्तों के समस्त लाटों के निर्वर्तन हेतु अधिकृत किया गया है,

और

चूँकि वर्ष .... संग्रहण सीजन में संघ विभिन्न इकाईयों के संग्रहित तथा गोदामीकृत अवशेष तेंदूपत्ते के लाटों एवं निरस्त तथा करारनामा समाप्त लाटो का निविदा द्वारा निर्वर्तन करना चाहता है एवं उसके द्वारा निविदा आमंत्रित करने हेतु सूचना क्र. ते.प. (निरस्त)-XXXIX दिनांक 29.06.2010 जारी की गई है और चूँकि संघ उपरोक्त निविदा सूचना की शर्तों के परिपालन के लिए संभावित निविदाकारों से निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व एक करारनामा निष्पादित करवाना चाहता है ।

अतएवं यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और इससे संबंधित व्यक्ति, पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान द्वारा एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :-

1. मैं/ हम ....एतद् द्वारा यह घोषित करता हूं/करते है कि मैंने/हमने छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के समस्त उपबंधों, उसके अधीन बनाये नियमों, उपरोक्त वर्णित निविदा सूचना की शर्तों, निविदा सूचना के परिशिष्ट-I में दिये गये निविदा के निबंधनों एवं शर्तों तथा निविदाकारओं के लिए निर्देश तथा उपरोक्त निविदा सूचना से संलग्न क्रेता करारनामा की शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने का करार करता हूं/करते हैं ।

2. मैं/ हम ....एतद् द्वारा घोषित करता हूं/करते है कि मैं/हम निविदा खुलना प्रारम्भ होने के पश्चात् अपना प्रस्ताव (निविदा) वापस नहीं लूंगा/लेंगे । मैं/हम यह भी घोषित करता हूं/करते है कि मैं/हम निविदा खुलने के बाद अपने प्रस्ताव (निविदा) पर तथा इस निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों पर तब तक बाध्य रहूंगा/रहेंगे, जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश नहीं हो जाते या दूसरा व्यक्ति या पक्ष उस लाट के लिए क्रेता नियुक्त नहीं हो जाता जिसके लिए मैंने/हमने निविदा प्रस्तुत की है ।

3. मेरे/हमारे .... द्वारा इस करारनामे की शर्तों के परिपालन में असफल होने पर मैं/ हम ऐसी शास्ति के भुगतान के दायित्वाधीन रहूँगा/रहेंगे, जैसी कि निविदा सूचना की शर्तों और उपबंधों के अधीन वसूली योग्य होगी ।

4. इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किये गये आदेशों तथा अधिसूचना के साथ ही संघ की अधिसूचना क्रमांक ते.प. (निरस्त)-....... दिनांक .... के अधीन जारी की गई निविदा सूचना के उपबंधों तथा शर्तों के और जो सब इस करार के भाग होंगे और इसके भाग बन गये समझे जायेंगे और जिनका यह अर्थ लगाया जायेगा कि वे इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपस्थित है, उपबंधों के अध्यधीन है ।

5. मैं/ हम ....एतद् द्वारा घोषित करता हूं/करते है कि मेरे/हमारे विरूद्ध मध्यप्रदेश में न तो वन विभाग अथवा संघ की कोई राशि बकाया है और न ही मैं/हम/शासन/संघ के द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया हूँ/हैं ।

जिसके साक्ष्य में मैंने/हमने संबंधित व्यक्ति/पंजीकृत फर्म/विधिक कम्पनी ने पहले उपर लिखे गये दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

साक्षीगणः-

1. हस्ताक्षर ....
नाम एवं डाक का पूरा पता ....

2. हस्ताक्षर ....
नाम एवं डाक का पूरा पता ....
की उपस्थिति में

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम ....
डाक का पूरा पता ....
....

साक्षीगणः-

1. हस्ताक्षर .... मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से
नाम एवं डाक का पूरा पता ....

2. हस्ताक्षर ....
नाम एवं डाक का पूरा पता ....
की उपस्थिति में

वन संरक्षक एवं महाप्रबंधक
.... के हस्ताक्षर

परिशिष्ट- IV

(निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त) -XXXIX दिनांक 29.06.2010 का परिशिष्ट)

क्रेता का करारनामा

(निविदा सूचना की शर्त क्रमांक -7)

यह करार आज दिनांक ....माह..................सन्...................को प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो विलेख के प्रयोजन के लिए वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित......................वृत (जो इसके पश्चात् वन संरक्षक के नाम से निर्दिष्ट है) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री.. ....आत्मज ....निवासी................................ग्राम.. ....और जो (1) श्री...(2) श्री ....(3) श्री .... के साथ ....स्थित कम्पनी, जिसका नाम ....है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7-1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय ....में स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् क्रेता के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया गया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो)

चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदूपत्ते का व्यापार, छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 29/1964) के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और उसके अधीन बनाये गए नियमों तथा उनके कानूनी उपांतरणों, जहां तक वे ऐसे व्यापार को लागू है, द्वारा विनियमित होता है, और चूँकि राज्य शासन ने संग्रहण वर्ष 2006, 2007, 2008 एवं 2009 के तेंदूपत्ते के निर्वर्तन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को अभिकर्ता नियुक्त किया है और संघ ने गोदामीकृत किये गये तेंदूपत्ते के विक्रय के लिए अपनी निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त)........... दिनांक............. के द्वारा निविदायें आमंत्रित की थी, और क्रेता के द्वारा विभिन्न लाटों जिनका विवरण इस करारनामे की कंडिका 21 की तालिका में दिया गया है और जिनको कथित निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त)................ दिनांक................ की अनुसूची में और पूर्णतया वर्णित किया गया है, के तेंदूपत्ते के क्रय के दिए की गई प्रस्तावित दरें इसमें इसके पश्चात् दर्शाये गये निबंधनों एवं शर्तों पर स्वीकार की गई हैं और उसे इस कथित तेंदूपत्ते का दिनांक.................. को समाप्त होने वाले अवधि के लिए क्रेता नियुक्त करने के लिए वह सहमत हो गया है,

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैः-

1. क्रेता करारनामा की अवधि-

यह करार दिनांक...................... से प्रारम्भ होगा और दिनांक........................ तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार पूर्व में ही इसे समाप्त न कर दिया जाए ।

2. करारनामे के भाग -

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के, और उसके अधीन बनाये गये नियमों के, और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किए गए आदेशों तथा अधिसूचना के साथ ही संघ की अधिसूचना

क्रमांक............ दिनांक....................के अधीन जारी की गई निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों के तथा इस निविदा सूचना के परिशिष्ट-I में उल्लेखित सामान्य/अन्य निबंधनों एवं शर्तों तथा निविदाकारों के लिए निर्देशों के जो सब इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जावेंगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, उपबंधों के अध्यधीन है ।

3. क्रय दर आदि -

क्रेता इस अनुबंध की कंडिका 21 की तालिका में दर्शाये गये लाट/लाटों जिनको कि इसके पश्चात् लाट/लाटों कहा गया है, के तेंदूपत्ता को प्रत्येक लाट के सामने दर्शाई गई दर पर, कालम 6 में दर्शाये गये क्रय मूल्य पर क्रय करेगा। लाट के क्रय मूल्य के अतिरिक्त क्रेता समय-समय पर प्रवृत्त क्रय मूल्य के उपर कर/उपकर भी अदा करेगा ।

4. विक्रय "जहां है जैसा है" के आधार पर -

(I) उप कंडिका (II) के अध्यधीन रहते हुये तेंदूपत्तों का विक्रय "जहां है जैसा है" के आधार पर है । पत्तों की गुणवत्ता या उनके बीड़ी निर्माण हेतु उपयुक्तता के बारे में किसी भी समय कोई विवाद मान्य नही किया जायेगा और न ही संघ उनकी गुणवत्ता में किसी प्रकार के ह्रास के लिये उत्तरदायी होगा तथा पत्ते का भंडारण क्रेता के उत्तरदायित्व पर रहेगा ।

(II) यह अनुबंध तेंदूपत्ते की मानक बोरें में अधिसूचित मात्रा के क्रय/विक्रय के लिये है । वास्तविक बोरों की संख्या के संबंध में कोई विवाद मान्य नही किया जायेगा । यदि इस अनुबन्ध में सम्मिलित किसी लाट में निविदा सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक संख्या में मानक बोरे निकलते हैं तो क्रेता को उन्हें भी लाट के लिये अनुबन्ध की कंडिका 21 में दर्शाये स्वीकृत दर पर अतिरिक्त भुगतान कर क्रय करना होगा । ऐसा अतिरिक्त भुगतान क्रेता को लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी होने के पूर्व करना होगा जैसा कि निविदा सूचना के परिशिष्ट-I में दर्शाया गया है। अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय अथवा लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ सुरक्षित रखता है तथा किश्तों में तद्नुसार संशोधन किया जायेगा और क्रेता को संशोधित मात्रा एवं किश्तों को मान्य करना होगा ।

(III) स्टाक की उल्टा-पल्टी करने या उन्हें किसी अन्य गोदाम में स्थानांतरित करने का अधिकार, क्रेता को इस आाशय की सम्यक् सूचना कि यदि वह चाहे तो उपरोक्त कार्य के समय उपस्थित रह सकता है, दिये जाने के उपरांत संघ/ जिला यूनियन के पास सुरक्षित है ।

5. देय राशि के भुगतान तथा पत्ते के परिदान की रीति -

(अ) क्रेता देय राशि अर्थात् देय करों सहित पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में चार बराबर किश्तों में, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के नाम से **परिशिष्ट-VI** में जिला यूनियनों के समक्ष दर्शायें स्थानों के किसी बैंक शाखा पर देय किसी अनुसूचित बैंक के बैंक/ डिमांड ड्राफ्ट द्वारा निम्न तिथियों को या उसके पूर्व करेगा ।

(राशि रुपये में)

किश्त	देय राशि की किश्तों के भुगतान की तिथि	क्रय मूल्य की राशि	वन विकास उपकर	मूल्य संवर्धित कर	अन्य कर	योग
प्रथम						
द्वितीय						
तृतीय						
चतुर्थ						

प्रत्येक किश्त के भुगतान के साथ आयकर रू. .... एवं आयकर सरचार्ज रू........................ कुल योग रू........................ की किश्त का भुगतान भी करना होगा ।

उपर वर्णित कर/उपकर, आयकर एवं अन्य करों में पश्चातवर्ती संशोधन होने पर तद्नुसार यथास्थिति संशोधित राशि क्रेता द्वारा देय होगी ।

निविदा सूचना के प्रावधानों के अनुसार पटाई गई प्रतिभूति निक्षेप या उसकी अवशेष राशि जैसी भी स्थिति हो, जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के संतुष्ट होने पर इस अनुबंध की कंडिका 10 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अंतिम किश्त के विरूद्ध समायोजित की जावेगी ।

(ब) यदि क्रेता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित भुगतान किया जाता है तो क्रय मूल्य की राशि के 2% के बारबर राशि की छूट दी जावेगी । यदि क्रेता इस सूविधा का लाभ उठाना चाहता है तो वह सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 98% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करों की राशि का भूगतान करेगा ।

(स) यदि क्रेता किसी किश्त की देय राशि का देय तिथि तक भुगतान करने में असफल रहता है, तो वह विलंबित अवधि के लिए 0.035 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से ब्याज देगा । यदि किसी किश्त की देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो ब्याज की गणना के लिये देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी ।

(द)**(I)** क्रेता तेंदूपत्ते का निविदा सूचना की अनुसूची में अधिसूचित गोदामों से परिदान लेगा तथा वह गोदाम के अन्दर से बोरा हटाने में आया समस्त व्यय स्वयं वहन करेगा । क्रेता को पतो का परिदान केवल तभी दिया जायेगा जब कि देय राशि का विलंबित भुगतान की स्थिति में ब्याज सहित, पूर्ण भुगतान उसके द्वारा कर दिया गया है ।

(II) प्रत्येक किश्त की देय राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात् लाट की अधिसूचित मात्रा के एक चौथाई भाग का परिदान दिया जायेगा । परिदान के समय लाट में से पत्तों की छंटाई की अनुमति नही दी जायेगी तथा परिदान छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दिया जावेगा जिस ओर से परिदान प्रारंभ किया गया है ।(यदि प्रयुक्त न हो तो काट दें)

(III) क्रेता को उसके द्वारा परिदान में ली गई सम्पूर्ण मात्रा को संघ के गोदामों के परिसरों से हटाना होगा तथा उसे छंटाई या कोई अन्य कार्य संघ के गोदाम के परिसरों में या उनके निकट के क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

(IV)(अ) प्रथम किश्त की देय राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात् यदि क्रेता लाट के पत्तों का खुला परिदान लेना चाहता है तो उसे इस आशय का आवेदन पत्र वन संरक्षक को देना होगा। क्रेता के आवेदन-पत्र पर वन संरक्षक क्रेता को संघ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खुला परिदान देने की अनुमति देंगे। खुले परिदान के अंर्तगत लाट की अधिसूचित मात्रा के एक चौथाई भाग का परिदान दिया जायेगा । परिदान के समय लाट में से बोरों की छंटाई की अनुमति नही दी जायेगी तथा परिदान छल्ली के उस एक ओर से दिया जायेगा जिस ओर से परिदान प्रारंभ किया गया है ।

(ब) इस प्रकार के परिदान के समय प्रत्येक बोरे को खोलकर उसमें भरी हुई गड्डियों की गिनती क्रेता के समक्ष की जावेगी तथा उन्हें बोरों में पुनः भरकर तदनुसार मात्रा का निर्धारण कर परिदान दिया जावेगा । इस प्रकार गिनती एवं गड्डियों को बोरों में पुनः भरने, सिलाई, थप्पी करने आदि कार्यों पर होने वाला समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जावेगा। इस व्यय का भुगतान क्रेता द्वारा इस तेंदूपत्ते के परिवहन के पूर्व किया जावेगा ।

(i) इस प्रकार गड्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा यदि लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से साढ़े सात प्रतिशत ($7^1/_2$%) तक कम आती है, तो लाट की अधिसूचित मात्रा में कोई कमी नहीं की जावेगी एवं तदनुसार प्रथम किश्त के तेंदूपत्ते का परिदान क्रेता को किया जावेगा । इस प्रकार पाई गई कमी के संबंध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्रेता को देय राशि में

किसी प्रकार की कोई छूट देय नहीं होगी तथा आगामी किश्तों की देय राशि के भुगतान के पश्चात् शेष तेंदूपत्ते का अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिदान कर दिया जावेगा। शेष अधिसूचित मात्रा के परिदान के पूर्व उसके अवशेष बोरों में गड्डियों की कोई गिनती नहीं की जावेगी एवं न ही खुला परिदान दिया जावेगा ।

(ii) परन्तु यदि इस प्रकार गड्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से साढ़े सात प्रतिशत ($7^1/_2\%$) से अधिक कम आती है, तो लाट की अधिसूचित मात्रा में तदनुसार कमी कर प्रथम किश्त की देय राशि की गणना संशोधित कर क्रेता द्वारा अधिक जमा राशि आगामी किश्त/किश्तों में समायोजित की जावेगी ।

(iii) यदि इस प्रकार गड्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से अधिक आती है, तो इस अधिक मात्रा के लिये क्रेता को क्रय मूल्य तथा उस पर देय समस्त कर आदि का भुगतान करना होगा। इस प्रकार अधिक देय राशि के भुगतान के पश्चात् ही क्रेता को प्रथम किश्त के तेंदूपत्ते की इस अतिरिक्त मात्रा का परिदान दिया जावेगा ।

(iv) उपरोक्त शर्त क्रमांक (ii) एवं (iii) के अनुसार कम/अधिक मात्रा के आधार पर आगामी किश्तों की मात्रा भी संशोधित की जावेगी एवं तदनुसार इस संशोधित मात्रा के आधार पर क्रेता को आगामी किश्तों की देय राशि का भुगतान करना होगा एवं इस संशोधित मात्रा के आधार पर ही क्रेता को आगामी किश्तों के तेंदूपत्ते का परिदान दिया जावेगा, जिसे उसे मान्य करना होगा। प्रथम किश्त के उपरांत आगामी किश्तों के पत्ते का खुला परिदान किसी भी स्थिति में नहीं दिया जावेगा ।

इस प्रकार कंडिका 5 (द) (IV) (ब) (i), (ii),(iii) के अनुसार परिगणित की गई मात्रा एवं देय राशि के संबंध में वन संरक्षक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

(ई) नीचे दी गई कंडिका (फ) के प्रावधान के अध्यधीन, किश्त की देय दिनांक या भुगतान की दिनांक, जो भी बाद में हो से 45 दिनों के भीतर गोदाम से तेंदूपत्ता हटाना होगा, परन्तु यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो परिदान आदेश को जिला यूनियन के प्रबंध संचालक से पुनर्जीवित कराना होगा ।

(फ) क्रेता को उसके द्वारा क्रय किये गये तेंदूपत्ते को गोदामों से केवल करार अवधि में ही हटाने का अधिकार है तथा करार अवधि समाप्त होने पर उसका तेंदूपत्ता की शेष मात्रा पर कोई अधिकार नहीं होगा तथा ऐसा तेंदूपत्ता संघ की संपत्ति बन गया माना जावेगा । तथापि यदि क्रेता ने लाट के पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान कर दिया है तथा उसका करारनामा समाप्त नहीं किया गया है और उसने अवधि वृद्धि शुल्क के रूप रुपये 5000/- का तथा गोदाम किराये के रूप में करार अवधि समाप्त होने से प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए रुपये 5/- प्रति वास्तविक बोरा की दर से भुगतान कर दिया है और वन संरक्षक को तेंदूपत्ते को हटाने की अनुमति देने हेतु लिखित आवेदन दिया है, तो वन संरक्षक ऐसी अनुमती ऐसी कालावधि के लिए दे सकेंगे जो करार की समाप्ति की तिथि से 60 दिनों से अधिक की नहीं होगी । परन्तु उपरोक्त 60 दिवस की अवधि समाप्ति के उपरांत भी विशेष परिस्थितियों में संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से तेंदूपत्ता हटाने हेतु इस पत्ते के निर्वर्तन के पूर्व 30 दिवस की अतिरिक्त अवधि दे सकेंगे ।

6. बैंक गारंटी के विरूद्ध पत्ते के परिदान की सुविधा-

(अ) निविदा सूचना की कंडिका 9 (II) के प्रावधान के अध्यधीन, यदि क्रेता बैंक गारंटी के विरूद्ध पत्ते के परिदान की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तब वह प्रथम किश्त की नियत दिनांक के पूर्व क्रय मूल्य की 30% राशि के बराबर जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के पक्ष में किसी भी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत कर सकता है । ऐसी स्थिति में पत्ते का परिदान निम्न शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार किया जावेगा ।

(I) बैंक गारंटी करार अवधि समाप्ति के दो माह उपरांत अर्थात् दिनांक.................. तक वैध होगी तथा इसकी पुष्टि बैंक द्वारा कर दी गई हो। गारंटी प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में होगी ।

(II) बैंक गारंटी की पुष्टि होने के पश्चात् प्रथम किश्त से संबंधित समस्त देय कर बैंक/डिमांड ड्राफट द्वारा कंडिका 7 के अनुसार पटाने पर उसे 1/4 भाग के पत्ते के परिदान की अनुमति दी जाऐगी। क्रेता के द्वारा कंडिका 5 के प्रावधानों के अनुसार देय कर सहित प्रथम किश्त पटाने पर उसे दूसरे 1/4 भाग का पत्ता और दे दिया जाऐगा और इसी प्रकार दूसरी किश्त पटाए जाने पर उसे 1/4 भाग का पत्ता और दे दिया जाऐगा और तदानुसार । (यदि प्रयुक्त न हो तो काट दें)

या

(ब) निविदा सूचना की कंडिका 9(II) के प्रावधान के अध्यधीन, यदि क्रेता 100 प्रतिशत बैंक गारंटी के विरूद्ध पत्ते के परिदान की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है तब वह प्रथम किश्त की नियत दिनांक के पूर्व क्रय मूल्य के बराबर जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के पक्ष में किसी भी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत कर सकता है अथवा वह प्रथम किश्त की समस्त देय राशि के भुगतान के उपरांत एवं द्वितीय किश्त की नियत दिनांक के पूर्व अवशेष क्रय मूल्य के बराबर जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के पक्ष में किसी भी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में पत्ते का परिदान निम्न शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार किया जावेगा ।

(i) बैंक गारंटी करार अवधि समाप्ति के दो माह उपरांत तक अर्थात् दिनांक................. तक वैध होगी तथा इसकी पुष्टि बैंक द्वारा कर दी गई हो। गारंटी प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में होगी ।

(ii) बैंक गारंटी की पुष्टि होने के पश्चात् क्रय मूल्य/अवशेष क्रय मूल्य से संबंधित देय समस्त कर बैंक/डिमांड ड्राफट द्वारा पटाने पर तेंदूपत्ते के परिदान की अनुमति दी जायेगी । क्रेता के द्वारा कंडिका 5(अ) के प्रावधानों के अनुसार देय किश्तों की राशि का भुगतान किया जावेगा ।

(स)(I) क्रेता के द्वारा किसी भी किश्त की रकम समय पर न पटाने पर उसके द्वारा दी गई बैंक गारंटी का नगदीकरण कर लिया जाएगा तथा राशि बैंक से प्राप्त होने तक कंडिका 5(स) में निर्धारित ब्याज दर से ब्याज भी नगदीकृत राशि से वसूल किया जाऐगा ।

(II) बैंक गारंटी प्रस्तुत करने से क्रेता, संघ को वह देय राशि जिस हेतु बैंक गारंटी दी गई है के भुगतान किये जाने के उत्तरदायित्व अथवा बाध्यता से मुक्त नहीं होगा । संघ के बैंक गारंटी के नगदीकरण के अधिकार पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना संघ को समस्त देय राशि के भुगतान का पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का है ।

(III) यदि संघ उसको देय किसी भी राशि को बैंक गारंटी के किसी भी कारण से नगदीकरण न होने की वजह से वसूल नहीं कर पाता है, तो ऐसी देय राशि क्रेता के द्वारा भुगतान योग्य होगी और उसके द्वारा ऐसा भुगतान न करने पर ऐसी राशि संघ के बैंक गारंटी के नगदीकरण के अधिकार पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव डाले बिना भू-राजस्व की बकाया के बतौर वसूली योग्य होगी और ऐसी राशि क्रेता की अन्य ऐसी राशि जो कि संघ के पास इस करारनामें के प्रावधानों के अंर्तगत उपलब्ध हो या संघ एवं क्रेता के बीच अन्य किसी प्रचलित करारनामे अथवा भविष्य में निष्पादित किए जाने वाले करारनामे के अंर्तगत संघ के पास उपलब्ध हो, से भी वसूली योग्य होगी ।

(IV) इस करारनामे के अंर्तगत दी गई बैंक गारंटी का यदि नगदीकरण किसी भी कारण से नहीं होता है जिसके फलस्वरूप संघ को देय राशि प्राप्त नहीं होती है तो इसे इस करारनामे का विशिष्ट उल्लंघन माना जाएगा, जिसके कारण यह करारनामा समाप्त किया जा सकेगा और क्रेता को 5 वर्ष की कालावधि तक के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा एवं क्रेता करारनामे की कंडिका 13 के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

(V) इस कंडिका के प्रयोजन हेतु बैंक गारंटी निविदा सूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट (V) में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत की जाऐगी ।

7. करों का भुगतान-

(I) इस करार के अधीन संघ को देय कोई भी किश्त अथवा राशि तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त कर का भी भुगतान न कर दिया जाए ।

(II) केता छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार मूल्य संवर्धित कर तथा वन विकास उपकर एवं अन्य करों का भुगतान बैंक/डिमांड ड्राफट द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के पक्ष में जिला यूनियन के मुख्यालय पर करेगा ।

(III) केता, जब तक उसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छूट नहीं दे दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार आयकर का भुगतान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में, **परिशिष्ट-VI** में जिला यूनियनों के समक्ष दर्शायें स्थानों के किसी भी अनुसूचित बैंक के पृथक बैंक ड्राफट/डिमांड ड्राफट के रूप में करेगा । यथा स्थिति संघ को देय पत्तों के कय मूल्य या उसके भाग का तब तक भुगतान नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस पर देय आयकर का भी पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया गया हो ।

8. विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना-

संघ या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या वन मंडलाधिकारी केता को तेंदूपत्तों के परिदान के पश्चात् मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 के अंर्तगत प्रावधानित प्रारूप "ठ" में उसका विक्रय प्रमाण- पत्र प्रदान करेगा ।

9. करारनामे का अनुपालन-

यदि पूर्वोक्त एवं निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट परिदान तथा कय की शर्तों का पूर्णतः पालन/ परिपालन नहीं किया जाता है, तो पत्तों को परिदत्त तथा कय किया गया नहीं समझा जावेगा ।

10. प्रतिभूति निक्षेप-

(I) केता अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के द्वारा या अधीन जहां तक कि वे इस करार के संदर्भ में लागू होते हों, उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त कार्यों तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा उसके सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा किये जाने से विरत रहने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है और अपने द्वारा तथा अपने सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के सम्यक् पालन तथा अनुपालन किए जाने के लिए वन संरक्षक के पक्ष में उसके द्वारा निविदा सूचना के प्रावधानों के अनुसार रूपये.................................. की राशि प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार निक्षेपित की गई है ।

(II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन केता से वसूली योग्य किसी रकम, कय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति केता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी ।

(III) यदि केता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी ।

(IV) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि केता के द्वारा केता करारनामे के समस्त निबंधनों एवं शर्तो, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् अंतिम किश्त के विरूद्ध समायोजित की जावेगी । लाट की अधिसूचित मात्रा से अधिक पायी गई मात्रा का परिदान केता द्वारा लेना होगा । उक्त अधिक मात्रा हेतु देय राशि, लाट के विक्रय मूल्य के आधार पर उसे भुगतान करना होगा । लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र उसके द्वारा उक्त राशि भुगतान करने पर ही जारी किया जावेगा ।

11. अधिनियम का उल्लंघन आदि -

क्रेता यह करार करता है कि वह उसके अथवा उसके द्वारा नियोजित किए गए व्यक्तियों के द्वारा अधिनियम, नियमावली और इस करारनामे के प्रावधानों के किए गए प्रत्येक उल्लंघन के लिए संघ/शासन को रूपया 1000/- (एक हजार) तक की राशि की देनगी करेगा ।

12. शास्तियां -

यदि क्रेता करार की किसी भी शर्त को भंग करें और यदि ऐसे भंग के कारण करार को समाप्त करना प्रस्तावित न हो तो जिला यूनियन के प्रबंध संचालक प्रत्येक भंग के लिए ऐसी शास्ति जो रूपये 1000/- (एक हजार) से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा । यदि शास्ति की राशि रूपये 500/- (पांच सौ) से अधिक हो, तो इस आदेश के विरूद्ध आदेश जारी होने के 30 दिन की अवधि के भीतर अपील वन संरक्षक को की जा सकेगी, जिसका विनिश्चय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

13. क्रेता के करारनामे की समाप्ति-

(I) यदि क्रेता प्रथम दो किश्तें तृतीय किश्त की देय तिथि के पूर्व या तृतीय किश्त चतुर्थ किश्त की देय तिथि के पूर्व या अंतिम किश्त उसकी देय तिथि के 15 दिन के अन्दर या अन्य कोई देय राशि अदा नहीं करता है या इस प्रलेख के उपबंधेां में से किसी भी उपबंध का अनुवर्तन करने में चूक करता है, तो ऐसे किन्हीं भी अधिकार तथा उपचारों पर जो वन संरक्षक को प्राप्त हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वन संरक्षक अपने विवेक पर इस करार को क्रेता को 15 दिन का नोटिस देकर एवं उसे सुनवाई का अवसर देकर समाप्त कर सकेगा और क्रेता का नाम पाँच वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में दर्ज कर सकेगा ।

(II) करार की समाप्ति का आदेश क्रेता को व्यक्तिशः परिदत्त किया जावेगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जावेगा । करार की समाप्ति करार के समाप्त करने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगी ।

(III) करार की समाप्ति पर संघ, निम्नलिखित के लिए हकदार होगाः-

(अ) संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप की राशि को अधिहरित करने ।

(ब) गोदाम में रखे तेंदूपत्ते के स्कंध, जिसका भुगतान कर दिया गया है परन्तु परिदान नहीं लिया गया हो को संघ के पक्ष में अधिहरित करने ।

(स)(एक) गोदाम में रखे तेंदूपत्ते का, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेंदूपत्ते के उस स्कंध का जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 13(III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है का विक्रय करने और हानि की वसूली करने। ऐसी हानि क्रेता द्वारा कंडिका 6 के अंर्तगत प्रस्तुत बैंक गारंटी, यदि प्रस्तुत की गई हो, के नगदीकरण तथा साथ ही गोदाम में रखे तेंदूपत्ते, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेंदूपत्ते, जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 13(III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है, के विक्रय से भी वसूली योग्य होगी । यदि लाट का पुनः विक्रय करारनामा समाप्ति के आदेश के उपरांत प्रथम निविदा/नीलाम में नहीं हो पाता है तो लाट का विक्रय मूल्य शून्य मानकर क्रेता से हानि वसूली की कार्यवाही की जावेगी । यदि पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम में लाट का पुनर्विक्रय हो जाता है तो प्राप्त क्रय मूल्य का समायोजन हानि की राशि में किया जावेगा । यदि हानि की वसूली हो चुकी हो तो ऐसी दशा में प्राप्त क्रय मूल्य क्रेता को भुगतान कर दिया जावेगा परन्तु ऐसी राशि पर क्रेता को कोई ब्याज देय नहीं होगा । करारनामा समाप्त होने की दशा में प्रथम क्रेता से हानि की वसूली हेतु गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

संबंधित निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां ।

(दो) इसके पश्चात् भी कोई हानि की वसूली शेष हो तो, ऐसी शेष हानि की राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने,

(तीन) यदि ऐसे पुनः विक्रय पर लाट/लाटों (जो प्रयुक्त न हो उसे काट दे) के लिये देय राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है तो, संघ पूर्ण राशि प्रतिधारित करने का हकदार होगा और क्रेता का उस पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा ।

(द) हानि की वसूली के लिये किये गये समस्त खर्चे एवं व्यय वसूल करने,

(ई) अधिरोपित की गई समस्त शास्तियां तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति, जिसका भुगतान नहीं हुआ हो वसूल करने,

(IV)(अ)यदि करारनामा समाप्ति के उपरांत एवं पत्तों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व बकायादार क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रूपये 5000/- प्रति लाट की दर से पुर्नजीवन शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से उक्त करार को पुर्नजीवित कर सकेंगे और करार अवधि को आवश्यक होने पर बढ़ा सकेंगे तथा उपरोक्तानुसार समस्त देय राशि एवं पुर्नजीवन शुल्क के पूर्ण भुगतान के उपरांत ही तेंदूपत्ते के अपरिदत्त स्टाक का उसे परिदान कर दिया जाएगा । क्रेता को परिदान प्राप्त करने से पूर्व कंडिका-5(फ) में दर्शायें अनुसार गोदाम किराये, यदि पुर्नजीवित करार की अवधि करार अवधि की समाप्ति की मूल तिथि के आगे तक बढ़ती है, का भुगतान अग्रिम में करना होगा ।

(ब) यदि क्रेता शर्त क्रमांक 13(IV)(अ) में वर्णित सुविधा नहीं लेना चाहता है एवं लाट के अवशेष क्रय मूल्य के भुगतान की किश्तवार सुविधा प्राप्त करना चाहता है तो क्रेता के आवेदन पर संघ के प्रबंध संचालक यदि चाहें तो स्वविवेक से क्रेता को किश्तवार भुगतान की सुविधा दे सकेंगे एवं उक्त करार को पुनर्जीवित कर सकेंगे, परन्तु इस स्थिति में क्रेता को देय किश्त की तिथि से विलम्बित अवधि के लिये देय राशि समस्त देय कर, उपकर तथा अधिरोपित शास्तियों की राशि, पर 0.045% प्रतिदिन की दर से ब्याज एवं रूपये 5000/- प्रति लाट की दर से पुर्नजीवन शुल्क देना होगा। पुनरीक्षित किश्तों की तिथियां तथा परिदान अवधि प्रबंध संचालक, संघ स्वविवेक से निर्धारित कर सकेंगे ।

(V) जब भी करार को पुनजीर्वित किया जाता है तो समाप्ति के कारण अधिहरित प्रतिभूति निक्षेप स्वतः प्रत्यावर्तित हो जावेगी ।

(VI) तथापि यदि क्रेता का करारनामा समाप्त नहीं किया गया है एवं करार अवधि समाप्त हो चुकी है तो पत्तों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज, समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रूपये 5000/- प्रति लाट की दर से अवधि वृद्धि शुल्क एवं गोदाम किराये के रूप में करार अवधि समाप्त होने से प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये रूपये 5/- प्रति वास्तविक बोरा की दर से राशि आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक स्वविवेक से तेंदूपत्ता हटाने की अनुमति क्रेता द्वारा लिखित में आवेदन पत्र देने पर दे सकेंगे ।

14. लेखाओं का रख रखाव-

क्रेता ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखा रखेगा, तथा ऐसी पाक्षिक विवरणियां ऐसी तिथियों को या उनके पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसा जिला यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाए ।

15. क्रेता के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन-

क्रेता ऐसे समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों, जो उसके द्वारा किये गये जाने के लिए अपेक्षित है, का निर्वहन करेगा और अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन निषिद्ध ऐसे कार्य जहां तक ये इस करार के संदर्भ में असंगत न हो, स्वयं के या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा किये जाने से प्रविरत रहेगा ।

16. स्कंध का बीमा-

(I) क्रेता करारनामा निष्पादित होने के बाद, संघ लाट/लाटों के स्वीकृत क्रय मूल्य के बराबर की राशि का बीमा, केवल निम्नानुसार आकस्मिकताओं से होने वाली हानि के लिए कराएगा- अग्नि, लाईटनिंग, एक्सप्लोजन, इमप्लोजन, इम्पेक्ट, हवाई दुर्घटनाएं, उपद्रव, हड़ताल, दुर्भावनाजन्य क्षति तथा स्पोनटेनियस कम्बश्चन ।

(II)(अ) **यदि क्रेता चाहे तो वहः-**

(i) अन्य प्राकृतिक अथवा अदृष्ट आपदाओं जैसे वर्षा, तूफान, बाढ़, बीमारी, भूकम्प या अन्य किसी भी कारण से हुई क्षति के दिए बीमा अपने स्वयं के व्यय पर करा सकेगा और इन कारणों से हुई हानि या क्षति के लिए संघ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

(ii) संघ के द्वारा कराए गऐ बीमा की राशि से उच्च राशि के लिए भी बीमा वह अपने स्वयं के व्यय पर करा सकेगा ।

(ब) ऐसी अधिक राशि अथवा उपरोक्त संदर्भित अन्य आपदाओं के लिए बीमा कराने की सूचना क्रेता को जिला यूनियन के प्रबंध संचालक को देनी होगी ।

(iii) यहां किये गये प्रावधान के अलावा संघ, किसी भी कारण से तेंदूपत्ते के स्टाक को हुई क्षति के कारण क्रेता को किसी प्रकार की हुई हानि या लाभ की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । यदि तेंदूपत्ता की किसी भी मात्रा की क्षति होती है तो संघ केवल, उसके द्वारा की गई बीमा की राशि तक ही, अर्थात् क्रय मूल्य की सीमा तक ही क्षतिपूर्ति करने के दायित्वाधीन होगा और वह भी केवल उस स्थिति में जब हानि, अग्नि, लाईटनिंग, एक्सप्लोजन, इमप्लोजन, इम्पेक्ट, हवाई दुर्घटनाएं, उपद्रव, हड़ताल, दुर्भावनाजन्य क्षति तथा स्पोनटेनियस कम्बश्चन अर्थात् उपरोक्त उप कंडिका (I) में दर्शित कारणों से हुई हो और यह भी कि यह क्षतिपूर्ति उस स्थिति में ही की जावेगी जबकि क्रेता ने क्रय मूल्य की राशि संघ को पटा दी हो, परन्तु उसने परिदान न लिया हो । यह प्रतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनी से प्राप्त होने पर ही क्रेता को दी जाएगी ।

17. तेंदूपत्ता का परिवहन और अनुज्ञापत्र जारी करना-

क्रेता तेंदूपत्तों का परिवहन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन अनुज्ञा पत्र के बिना जैसा कि अधिनियम और नियमावली में अनुध्यात है, नहीं करेगा ।

18. स्टाम्प शुल्क का भुगतान-

छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का सभी समयों पर क्रेता पालन करेगा ।

19. प्रथम प्रभार-

(एक) यथास्थिति क्रय मूल्य या उनकी अतिशेष ऐसी समस्त रकम, जो निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों तथा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों, अधिनियम और नियमों के अधीन देय है, क्रेता द्वारा तेंदूपत्ता के लिए गये परिदान पर प्रथम प्रभार होगी ।

(दो) क्रेता तेंदूपत्तों का निर्यात या बीड़ी बनाने के लिए उनका उपयोग या किसी अन्य प्रकार से उनका व्ययन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि यह प्रभार पूर्णतः उन्मोचित न कर दिया जाये ।

20. न्यायालय की अधिकारिता-

(एक) इस करार के अधीन उद्भूत होने वाला कोई विवाद, छत्तीसगढ़ न्यायालयों की अधिकारिता अध्याधीन होगा ।

(दो) यदि कोई केता शासन/संघ के विरूद्ध न्यायालय में जाता है तथा निर्णय शासन/संघ के पक्ष में होता है तो केता न्यायालयीन कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये उत्तरदायी होगा, इसकी वसूली केता से ब्याज सहित की जावेगी ।

21. केता के द्वारा कय किये गये लाट का विवरण-

केता के द्वारा कय किये गये लाट का विवरण तथा किस दर पर तेंदूपत्ता कय किया गया है, नीचे दिया गया है ।

(राशि रूपये में)

जिला यूनियन	लाट कमांक	समिति का नाम	मात्रा मा.बो.	कय दर प्रति मा.बो.	कय मूल्य	वन विकास उपकर
1	2	3	4	5	6	7
योग						

मूल्य संवर्धित कर	मूल्य संवर्धित कर सरचार्ज	अन्य कर	योग (6+7+8+9+10)	आयकर	आयकर सरचार्ज	योग (12+13)
8	9	10	11	12	13	14

जिसके साक्ष्य में, इसमें उपरलिखित दिनांक तथा सन् को वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक ने यहां अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और उपर नामित केता (केताओं) ने अपने/उनके अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं ।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में वन संरक्षक एवं संघ के पदेन महाप्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और परिदत्त किया गया ।

साक्षीगणः-

1. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से

2. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

वन संरक्षक एवं संघ के पदेन महाप्रबंधक
.....................................वृत्त

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में उपर नामित क्रेता द्वारा हस्ताक्षर किये गयेः-

साक्षीगणः-

1. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

क्रेता/क्रेताओं के हस्ताक्षर

नाम-....................................
डाक का पता-..........................

2. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

ANNEXURE – V
(Annexure to Tender Notice No. T.P. (Terminated)-XXXIX dated 29.06.2010)
DEED OF BANK GUARANTEE
(Condition 9 of Tender Notice)

In consideration of the Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation Limited, A-25, VIP Estate, Khamhardih, Shankar Nagar, Raipur (hereinafter called the 'Federation', which expression shall, where the context so admits, include its successors in office), having agreed to exempt Messers/Shri ………………………………………………… S/o ……………………………………….. of Village ……………………………… Police Station ……………….…….. Post ………………… District of ……………….. State…………………………………….. (hereinafter called the 'Purchaser or Kreta',which expression shall, where the context so admits, include his heirs, executors, administrators and representatives) from immediate full payment of purchase price for Tendu leaves Lot(s) purchased by him to the extent of Rs……………………………………. (Rupees ……………………………… only) in cash (hereinafter called the said amount) and accept in lieu thereof Bank Guarantee from the purchaser under the terms and conditions contained in the Tender Notice No. T.P.(Terminated) …… Dated …………….. (hereinafter called the Tender Notice) and the General/other terms and conditions of tender and instructions for Tenderers contained in Annexure-I of Tender notice and the purchaser's agreement dated …………….. executed in accordance with condition 7 of the Tender Notice (hereinafter called Purchaser's agreement) for payment of the purchase price by him in instalments in accordance with and for fulfilment of the terms and conditions contained in the said Tender Notice and the said Purchaser's Agreement.

We ……………………………………. (hereinafter referred to as Bank which expression
(indicate the name of Bank)
shall, where the context so admits, include their successors and assignees), at the request of the said purchaser do hereby undertake to pay to the Managing Director, District Forest Produce Co-operative Union Ltd. and Divisional Forest Officer ……………………………….. Division (hereinafter called Managing Director, Union) an amount not exceeding Rs. (in figures) ………………….. Rs. (in words) ………………………………………………………………. . only against the purchase price of lot(s) purchased by the purchaser and any loss or damage caused to or suffered or, would be caused to or suffered by the Federation by reason of any breach by the said purchaser of any of the terms and conditions contained in the said Tender Notice, Purchaser's Agreement or by reason of purchaser's failure to perform the said purchaser's agreement or non observance of any condition of tender notice.

2. We ………………………………….. do hereby undertake to pay the amounts due and
(indicate the name of Bank)
payable under this guarantee without any demur and merely on a demand from the Managing Director, District Union stating that the amount claimed is due by way of purchase price of the lot(s) purchased by the purchaser and /or loss or damage caused to or would be caused to or suffered by the Federation by reason of breach by the said purchaser of any of the terms or conditions contained in the said Tender Notice/Purchaser's Agreement or by reason of purchaser's failure to perform the said Purchaser's Agreement or non observance of any conditions of Tender Notice. Any such demand made on the Bank shall be conclusive as regards the amount due and shall be payable by the Bank under this guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. (in figures) …………………. Rs. (in words)……………………..…………. only.

3. We …………………………………… undertake to pay to the Managing Director any
(indicate the name of Bank)
money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the the purchaser in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal relating thereto, our liability under this present guarantee being absolute and unequivocal. The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge of our liability for payment thereunder and the purchaser shall have no claim against us for making such payment.

4. We ……………………………………… further agree that the Guarantee herein
(indicate the name of Bank)

contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Purchase's Agreement and observance of terms and conditions of Tender Notice and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Federation under or by virtue of the conditions of the said Tender Notice/Purchaser's Agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the Managing Director certifies that the terms and conditions of the said Tender Notice/Purchaser's Agreement executed by the said purchaser in favour of the Conservator of Forests …………………………………………… circle have been fully and properly carried out by the Purchaser and accordingly discharges this guarantee. Unless demand or claim under this guarantee is made on us in writing on or before ………………………….. (date)……………………….. (month) …………………………. (year), we shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.

5. We ……………………………………………..… further agree with the Federation/
(indicate the name of Bank)
Conservator of Forests ……………………………………….. circle/Managing Director Federation/Conservator of Forests …………………………………… circle/Managing Director Union shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligation hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Tender Notice/Purchase's Agreement executed by the purchaser or to extend time for performance by the said purchaser from time to time or to postpone for any time or from time to time exercise of any power exercisable by the Federation/Conservator of Forests ……………………………………….. Circle/Managing Director Union against the said purchaser and to forebear to enforce any of the terms and conditions relating to the said Tender Notice/Purchaser's agreement, and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the said purchaser or for any forbearance act or omission on the part of the Federation/Conservator of Forest ………………………………………………….. Circle/Managing Director, Union or any indulgence shown by the Federation/Conservator of Forest ………………………………………. Circle/Managing Director, Union to the said purchaser of any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have effected of so relieving us.

6. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the said purchaser.

7. We, …………………………………………………… lastly undertake not to revoke
(indicate the name of Bank)
this guarantee during its currency except with the previous consent of the Federation/Conservator of Forest …………………………………… Circle/Managing Director, Union in writing.
Dated the ……………………. Day of……………………………. (month) ………………….(Year)

Seal of the Bank

(Signature of the Authority
Issuing Bank Guarantee)
(Indicate the name of Bank)
Name
……………………………….
Designation
………………………..
(Seal of Bank)

N.B.: Simultaneously with the issuing of this Bank gurantee the Bank has sent separately vide Register A.D. letter No. ……………………………….. dated …………………………. intimation to the Managing Director, District Forest Produce Co-operatve Union Ltd. And Division forest officer …………………………… Division in the form prescribed (sample form enclosed with tender notice) by the Federation that this Bank Gurantee be treated as genuine, for the purpose of the purchaser's agreement

(Signature of the Authority
Issuing Bank Guarantee)
(Indicate the name of Bank)
Name
……………………………….
Designation
………………………..
(Seal of Bank)

REGISTERED A.D.

Sample form enclosed with Annexure-V of Tender Notice

Office of the Branch Manager
……………………………….. Branch
…………………..…………..Bank
………………………….…..(Floor)
……………………………...(Place)
……………………………...(District)
……………………………...(State)

To,

The Managing Director
District Forest Co-operative Union Ltd. ……………………………….. and
Divisional Forest Officer,
……………………………….. Division
……………………………….. Chhattisgarh.

Sub:- Issue of Bank guarantee in your favour on account of

M/S/Shri ………………………….………….………. S/o ……………………………………… of (Village) ………………… (Police Station) …………………………….. (Post office) ……………………… (District) ………………………………. (State) ………………………………… for Rs…………………….. (Rupees ………………………………………………………………… only).

Dear Sir,

I beg to inform you that a Bank Gurantee bearing No ………………………….. dated ……………... for Rs. ……………………… (Rupees ………………………………………… only), has been issued by this Bank, in your favour on account of M/s/Shri …………………………………..…………….. Son of ………………………………………… of ………………………….. (village) ……………………………….. (Police Station) ………….……….. (Post Office)………………………(District) …………………………of ……………………………….. (State) ………………………….……………………. for the purpose of guaranteeing the payment of purchase price of Tendu leaves lot(s) purchased by the said M/s/Shri ………………………………………

2. The aforesaid Bank Gurantee has been issued as required under the terms and conditions of the Tender Notice issued vide Notification No. …………………………………… dated ……………………….. by the Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation and the purchaser's agreement dated ……………………………. executed in accordance with condition No. 7 of the Tender Notice and shall be valid upto ……………………… (date) ……………………………….. (month) ………………………………………….. (year).

3. The Bank Gurantee has been drawn in the proforma prescribed by the Federation in the said tender notice and bears the official seal of the Bank. It has been signed by the issuing authority of the Bank.

Thanking you,

Yours faithfully

Dated: (Signature of Branch Manager)

(Seal of Bank)

परिशिष्ट - VI
अधिसूचना क्रमांक ते.प.(निरस्त)-XXXIX दिनांक 29.06.2010
जिला यूनियनवार बैंक ड्राफ्ट भुगतान हेतु देय स्थान

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जहॉ बैंकड्राफ्ट भुगतान हेतु देय होगा
1	2	3
1	बीजापुर	बीजापुर
2	सुकमा	सुकमा
3	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा
4	जगदलपुर	जगदलपुर
5	दक्षिण कोण्डागांव	कोण्डागांव
6	उत्तर कोण्डागांव	कोण्डागांव
7	नारायणपुर	नारायणपुर
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर
9	पश्चिम भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर
10	कांकेर	कांकेर
11	राजनांदगांव	राजनांदगांव
12	खैरागढ़	खैरागढ़
13	दुर्ग	दुर्ग
14	कवर्धा	कवर्धा
15	धमतरी	धमतरी
16	उदन्ती	गरियाबंद
17	पूर्व रायपुर	रायपुर
18	महासमुन्द	महासमुन्द
19	रायपुर	रायपुर
20	बिलासपुर	बिलासपुर
21	मरवाही	पेण्ड्रारोड़
22	जांजगीर-चांपा	जांजगीर
23	रायगढ़	रायगढ़
24	धर्मजयगढ़	धर्मजयगढ़
25	कोरबा	कोरबा
26	कटघोरा	दर्री
27	जशपुर नगर	जशपुर नगर
28	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़
29	कोरिया	बैकुण्ठपुर
30	दक्षिण सरगुजा	अम्बिकापुर
31	पूर्व सरगुजा	अम्बिकापुर
32	उत्तर सरगुजा	अम्बिकापुर